

भारत के असाधारण राजपत्र भाग-1, खंड-1 में प्रकाशनार्थ

फा. सं. 6/38/2024-डीजीटीआर

भारत सरकार

वाणिज्य विभाग

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

चौथा तल, जीवन तारा भवन, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001

शुद्धिपत्र अधिसूचना

मामला संख्या एडी (ओआई)-36/2024


दिनांक: 06 अक्टूबर, 2025

विषय: वियतनाम में उत्पन्न या वहाँ से निर्यातित "कैल्शियम कार्बोनेट फिलर मास्टरबैच" के आयात से संबंधित एंटी-डंपिंग जाँच।

फा. सं. 6/38/2024 - डीजीटीआर समय-समय पर संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जाएगा) और समय-समय पर संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (डंप की गई वस्तुओं पर शुल्क या अतिरिक्त शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियम, 1995 को ध्यान में रखते हुए, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने वियतनाम में उत्पन्न या वहाँ से निर्यातित कैल्शियम कार्बोनेट फिलर मास्टरबैच के आयात पर की गई एंटी-डंपिंग जाँच के संबंध में अंतिम निष्कर्ष अधिसूचना संख्या 6/38/2024-डीजीटीआर दिनांक 27.09.2025 जारी की।

2. अंतिम निष्कर्षों के पैराग्राफ 350 को निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाता है:

"350. उपर्युक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी, नियम 17(1)(ख) के साथ पठित नियम 4(घ) में निहित प्रावधानों के अनुसार, घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करने के लिए, पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में से जो भी कम हो, उसके बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं। तदनुसार, प्राधिकारी वियतनाम में मूलतः या वहाँ से निर्यातित विषयगत वस्तुओं के आयात पर, केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए, पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं, जो नीचे संलग्न शुल्क तालिका के कॉलम 7 में दर्शाई गई राशि के बराबर है।"



सिद्धार्थ महाजन  
निर्दिष्ट प्राधिकारी